क.

प्रदीप कुमार संथालिया

वी.

धीरज प्रसाद साहू @धीरज साहू और ए. एन. आर. (2020 की सिविल अपील संख्या 611)

18 दिसंबर, 2020

[एस**.** ए**.** बोबडे**,** सीजेआई**,** ए**.** एस**.** बोपन्ना और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-कला।191, 193, 190, 188 और 80 (4)-झारखंड राज्य से राज्य परिषद की दो सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव-अपीलार्थी और दो अन्य ने नामांकन दाखिल किए-विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य ने विजयी उम्मीदवार के पक्ष में सुबह 9.15 बजे अपना वोट डाला-उसे उसी दिन दोपहर में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई-अनुच्छेद 191 (1) (ई) आर/डब्ल्यू के तहत अयोग्यता का सामना करना पड़ा।8(3), 1951 अधिनियम-अपीलार्थी ने 2599 मतों का मूल्य प्राप्त किया, और अन्य दो उम्मीदवारों ने 2601 मतों का मूल्य और 2600 मतों का मूल्य प्राप्त किया-रिटर्निंग अधिकारी से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त दोषी निर्वाचित सदस्य द्वारा डाले गए मत को अमान्य घोषित किया जाए-अस्वीकार कर दिया गया-अपीलार्थी को पराजित घोषित कर दिया गया और अन्य दो उम्मीदवारों को विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया गया-अपीलार्थी ने चुनाव याचिका दायर कर इस घोषणा के लिए प्रार्थना की कि रिटर्निंग अधिकारी ने शून्य मत का अनुचित स्वागत किया है-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर कहा गयाःयह अभिनिर्धारित करना कि विधान सभा का कोई सदस्य दोषी ठहराए जाने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था, दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने के उसके मूल अधिकार का घोर उल्लंघन होगा-इस प्रकार, ऐसे सदस्य द्वारा 9 पर डाला गया वोटः15 23.03.18 पर a. m को सही ढंग से एक वैध वोट के रूप में माना गया था-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-ss।8 और 152-चुनाव संचालन नियम, 1961 -आर. 2 (डी)-वैधता का सिद्धांत-वास्तविक सिद्धांत-बीमा।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 -एस. 8-व्याख्या

ग

डी.

ई.

च

से।

जी.

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-s में "तिथि"।8(3), 1951 अधिनियम-आयोजितःएस में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "तिथि" के लिए दी जाने वाली व्याख्या।8(3) अयोग्यता की घटनाओं में से किसी एक के होने की तारीख तक दी जाने वाली व्याख्या पर इसका असर होगा

एच.

Art.191 (1)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 -धारा 8 (3)-भारत का संविधान-Art.191।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** संविधान का अनुच्छेद **191** उन परिस्थितियों की बात करता है जिनके तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा।

((i) या तो **(ii)** के रूप में चुने जाने के लिए या राज्य का सदस्य होने के लिए

विधान सभा।अनुच्छेद **191** की भाषा यह स्पष्ट करती है कि इसमें चुनाव में प्रतिस्पर्धा और निर्वाचित होने के बाद पद पर बने रहना दोनों शामिल हैं।यदि कोई व्यक्ति, विधानसभा का सदस्य होने के नाते, अयोग्यता का सामना करता है, तो उसकी सीट खाली हो जाती है।इस स्थिति का ध्यान अनुच्छेद **190** द्वारा रखा गया है।वह घटना जो धारा **8 (3)** के साथ पठित अनुच्छेद **191 (1) (**ई**)** के तहत अयोग्यता का कारण बनती है, किसी व्यक्ति को किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।इस तरह की अयोग्यता का परिणाम यह है कि सीट खाली हो जाती है।जाहिर है इसलिए, विधान सभा का कोई सदस्य जो अयोग्य हो गया है और जिसकी सीट खाली हो गई है, वह अनुच्छेद **80 (4)** के तहत अपने राज्य से प्रतिनिधि चुनने के लिए अपना वोट डालने का हकदार नहीं है, जिसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि "निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे"।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **152** के तहत रखी गई राज्य विधानसभा के सदस्यों की सूची से उनका नाम हटाया जा सकता है।विधानसभा सदस्य द्वारा चुनाव के संबंध में वह निर्वाचक नहीं रह जाता है और अपना वोट नहीं डाल सकता है।**[**पारस **11-13] [492-G-H; 493-A-H; 494-A-F]**

ग

डी.

ई.

1.2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** को संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के सदनों/सदनों के चुनावों के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्य निर्वाचन और अयोग्य निर्वाचन, भ्रष्ट प्रथाओं आदि का प्रावधान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा **8** कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता से संबंधित है। अयोग्यता के उद्देश्य से, अपराधों को धारा **8** में **3** श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।वर्तमान मामला धारा **8** की उप-धारा **(3)** से संबंधित है, क्योंकि अमित कुमार महतो को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था जो या तो उप-धारा **(1)** या उप-धारा **(2)** के तहत नहीं आते हैं।अयोग्यता के तहत

च

जी.

एच.

1951 के अधिनियम **43** की धारा **8** संविधान के अनुच्छेद **191 (1) (**ई**)** से संबंधित है।इसलिए, धारा **8** की कोई भी व्याख्या संवैधानिक योजना के अनुरूप होनी चाहिए।**[**पारस **14,16** और **17] [494-**एफ-एच**; 495-**बी-ई**]**

1.3 अधिनियम की धारा **8 (3)** अयोग्यता की शर्तों और अयोग्यता की अवधि दोनों से संबंधित है।जहां तक अयोग्यता की अवधि का संबंध है, धारा **8 (3)** इस मायने में व्यापक है कि यह अवधि के प्रारंभ और इसकी समाप्ति दोनों को इंगित करती

है।दोषसिद्धि की तारीख अयोग्यता की शुरुआत का बिंदु निर्धारित की गई है और रिहाई के बाद छह साल की अवधि पूरी होने की तारीख, अयोग्यता की अवधि की समाप्ति के बिंदु के रूप में निर्धारित की गई है।एक बार अयोग्यता की अवधि शुरू होने के बाद, अयोग्य व्यक्ति द्वारा अब तक रखी गई सीट संविधान के अनुच्छेद **190 (3)** के आधार पर खाली हो जाती है।अयोग्य व्यक्ति की सीट खाली होने के बारे में बात करते हुए, अनुच्छेद **190 (3)** "उसके बाद" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।"इस तरह की सजा की तारीख" शब्दों की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।धारा **8 (3)** में दिखाई देने वाले वाक्यांश की व्याख्या करते समय एक मौलिक सिद्धांत जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह है कि इस प्रकृति के मामलों में, न्यायालय किसी मौलिक अधिकार या सामान्य कानून के अधिकार से संबंधित नहीं है।**[**पारस **18-20] [495-F-H; 496-A-F]**

ग

डी.

ई.

सरिता एस**.** नायर बनाम हिबी ईडन सुप्रीम का निर्णय

एसएलपी **(**सी**)** सं**.** में न्यायालय दिनांक **08.12.2020**। **2020** का **10678;** ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल **(1982) 1** एस**.** सी**.** सी**. 691:[1982] 3** एस**.** सी**.** आर**. 318-**निर्भर।

2.1 आपराधिक कानून में भी, **(i)** किसी व्यक्ति को हुए कारावास की अवधि की गणना करते समय "तिथि" अभिव्यक्ति को दी जाने वाली व्याख्या और **(ii)** अपील/संशोधन दायर करने की अवधि की सीमा की गणना करते समय उसी अभिव्यक्ति को दी जाने वाली व्याख्या के बीच एक बड़ा अंतर है।उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसके अनुसार हिरासत में भी लिया जाता है, **23.03.2018** पर **23** मार्च का पूरा दिन कारावास की कुल अवधि में शामिल किया जाएगा।लेकिन इसके विपरीत, **23** मार्च के दिन को अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करने के लिए बाहर रखा जाएगा।हालांकि एक दूसरे के विपरीत है, दोनों व्याख्याओं का उद्देश्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है।अयोग्यता ए नहीं है

च

जी.

एच.

483

प्रदीप कुमार संथालिया बनाम धीरज प्रसाद साहू @धीरज साहू ए

दण्डात्मक प्रावधान और अयोग्यता का उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण को रोकना है।लेकिन धारा **8 (3)** के तहत इस मामले में अयोग्यता का कारण दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए एक आपराधिक अदालत द्वारा दोषसिद्धि थी। इसलिए, धारा **8 (3)** में दिखाई देने वाले वाक्यांश "दोषसिद्धि की तारीख" को उन दंडात्मक प्रावधानों के संबंध में व्याख्या मिलनी चाहिए जिनके तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था।**[**पारस **30,32,33] [499-**जी**-**एच**; 500-**सी**-**डी**]**

2.2 यह नियम कि किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, संवैधानिक कानून का एक दीर्घकालिक सिद्धांत है और इसे केवल सामान्य शब्दों के उपयोग से विस्थापित नहीं किया जा सकता है।कानून में इसे वैधता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है।यह अभिनिर्धारित करना कि विधान सभा का कोई सदस्य दोषी ठहराए जाने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था, दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने के उसके मूल अधिकार का घोर उल्लंघन होगा।वर्तमान मामले में, यह जोड़ना महत्वपूर्ण होगा कि कानून के सामान्य नियम के साथ "तिथि" शब्द के उपयोग में एक घोषणा को असंगत बनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि "तिथि" शब्द पूरे दिन के बजाय उस समय के बिंदु

का अर्थ निकालने में काफी सक्षम है जब घटना हुई थी।जबकि यह ज्ञात है कि एक दोषमुक्ति जन्म पर संचालित होती है, इस प्रस्ताव के लिए कोई मामला उद्धृत नहीं किया गया है कि एक दोषसिद्धि अपने आप से एक मिनट पहले भी प्रभावी होती है। इसके अलावा, "तिथि" शब्द का उपयोग अवसर, समय, वर्ष आदि को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग वर्तमान तक के समय को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जब इसका उपयोग वाक्यांश "दो तिथियों" में किया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से, "तिथि" शब्द का उपयोग समय आदि के एक बिंदु को दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। यह कहना कि निर्दोषता की यह धारणा ए. एम. से वाष्पित हो जाएगी, हालांकि दोषसिद्धि ए. एम. पर सौंपी गई थी, आपराधिक न्यायशास्त्र के सबसे मौलिक सिद्धांत की जड़ पर प्रहार करेगी।चूंकि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि दंडात्मक कानून के तहत होती है, इसलिए इसे दोषसिद्धि से पहले के समय से प्रभावी नहीं माना जा सकता है।**[**पारस **34-39] [500-D-H; 501-A-H; 502-A-B]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

रॉजेट्स इंटरनेशनल थिसॉरस का तीसरा संस्करण नोट 114.4

– संदर्भित किया गया।

3. बीमा कानून के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों की अयोग्यता के मामलों से कोई प्रासंगिकता नहीं है।बीमा पॉलिसी में निहित है

एच.

अनुबंध का क्षेत्र।इसलिए, इस तरह के अनुबंध की शर्तों को दी जाने वाली व्याख्या काफी हद तक पक्षों के इरादे पर निर्भर करेगी, जिसमें एक निश्चित सीमा तक उस पक्ष के पक्ष में होगी जिसकी सौदेबाजी की शक्ति अन्य अनुबंध करने वाले पक्ष के बराबर नहीं है।बीमा के अनुबंध में दिखाई देने वाले "तिथि" शब्द की दी गई व्याख्या को अपनाना संभव नहीं है।**[**पारस **41,42] [502-**डी-एच**; 503-**ए-डी**]**

4. अधिनियम की धारा **8 (3)** के तहत उत्पन्न अयोग्यता, आपराधिक न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा का परिणाम है।दूसरे शब्दों में, दोषसिद्धि कारण है और अयोग्यता परिणाम है।परिणाम कभी भी कारण से पहले नहीं हो सकता है। **[**पैरा **43] [503-**सी-ई**]**

ग

5. अनुच्छेद **193** एक गलती करने वाले सदस्य पर लगाए जाने वाले दंड से संबंधित है जो विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है **(i)** अनुच्छेद **188** की आवश्यकताओं का पालन करने से पहले**; (ii)** या जब वह जानता है कि वह सदस्यता के लिए योग्य नहीं है**; (iii)** या जब वह जानता है कि वह सदस्य होने के लिए अयोग्य है**; (iv)** या जब वह जानता है कि उसे किसी भी कानून द्वारा बैठने या मतदान करने से रोका गया है।एक अयोग्यता जिसके लिए अनुच्छेद **193** के तहत दंड निर्धारित किया गया है, अनुच्छेद **193** में निर्धारित दंड के अलावा सदस्यता के साथ जाने वाले विशेषाधिकारों से इनकार जैसे नागरिक परिणामों को भी आमंत्रित करता है।एक बार जब कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है, तो वह सदस्य नहीं रह जाता है और उसकी सदस्यता के साथ उसका मतदान करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। यह एक व्यक्ति के सदस्य नहीं रहने का एक स्वाभाविक परिणाम है और यह परिणाम स्वतः होता है और अनुच्छेद **193** पर निर्भर नहीं करता है।इसलिए, अनुच्छेद **193** को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि किसी सदस्य की अयोग्यता के

स्वाभाविक परिणाम भी दंड के प्रिस्क्रिप्शन के कारण आकर्षित नहीं होंगे।अनुच्छेद **193** के तहत दंड के लिए दायित्व को कम करता है**,** निर्वाचित सदस्य द्वारा किया गया कार्य अमान्य होने के लिए उत्तरदायी नहीं है**,** लेकिन केवल कुछ परिस्थितियों में। उनमें से एक अनुच्छेद **188** की अवहेलना करने वाले मामलों के अलावा एक समान मामला हो सकता है।**[**पारस **47,48** और **53] [504-**सी**-**जी**; 506-**डी**-**ई**]**

डी.

ई.

च

जी.

6. अधिकारियों के कार्य वास्तव में ए के हित में**,** उनके कल्पित आधिकारिक अधिकार के दायरे में किए गए थे।

एच.

485

प्रदीप कुमार संथालिया बनाम धीरज प्रसाद साहू @धीरज साहू ए

सार्वजनिक या तीसरे व्यक्तियों को**,** जो अपने लाभ के लिए नहीं हैं**,** आम तौर पर वैध और बाध्यकारी माना जाता है जैसे कि वे न्यायिक अधिकारियों के कार्य थे।वास्तविक सिद्धांत अच्छी समझ**,** ठोस नीति और व्यावहारिक उद्देश्य पर आधारित है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी शरारत की रोकथाम और सार्वजनिक और निजी हित की रक्षा करना है।**[**पैरा **55] [506-**जी**; 507-**ए**-**बी**]**

6. यह मान लेना संभव नहीं है कि श्री अमित कुमार महतो ने **9** बजे वोट डालाः**15** ए**.** एम**. 23.03.2018** को आपराधिक न्यायालय द्वारा **2** पर पारित दोषसिद्धि और सजा के कारण अमान्य माना जाना चाहिएः**30** उसी दिन अपराह्न।यह निष्कर्ष तर्क की एक अन्य प्रक्रिया के माध्यम से भी निकाला जा सकता है।संविधान का अनुच्छेद **191 (1)** अयोग्यता के पांच अलग**-**अलग आधारों से संबंधित है।वे हैं **(i)** पहली अनुसूची में निर्दिष्ट लाभ का पद धारण करना**; (ii)** मानसिक अस्वस्थता**,** जिसे एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है**; (iii)** अविमुक्त दिवालियापन**; (iv)** भारत की नागरिकता का अभाव या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता का अधिग्रहण आदि।**;** और **(v)** संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्यता।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम**, 1951** की धारा **8 (3)** में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "तिथि" की दी जाने वाली व्याख्या का अयोग्यता की उपरोक्त घटनाओं में से किसी एक के होने की तारीख तक दी जाने वाली व्याख्या पर असर पड़ेगा।हालांकि इस मामले में अपीलार्थी के लिए अनुच्छेद **191 (1) (**ई**)** के संदर्भ में धारा **8 (3)** में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "तिथि" की व्याख्या करना सुविधाजनक हो सकता है**,** यह देखना होगा कि क्या यह पूरी तरह से अनुच्छेद **191 (1)** की योजना में फिट होगा।हो सकता है न भी हो।यदि अनुच्छेद **191** के खंड **(1)** के उपखंड **(**ए**)** से **(**डी**)** में से प्रत्येक के खिलाफ परीक्षण किया जाता है तो यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा दी गई व्याख्या जीवित नहीं रहेगी।श्री अमित कुमार महतो ने **9** बजे मतदान किया।**15 23.03.2018** पर **a. m.** को वैध वोट के रूप में माना गया था। इसलिए**, 2020** की सिविल अपील **No.611** खारिज कर दी जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए मुद्दे संख्या **2,3** और **5** पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए **2020** की सिविल अपील की अनुमति दी गई है।**[**पारस **58-62] [508-B-H; 509-A-B]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

पशुपति नाथ सिंह बनाम हरिहर प्रसाद सिंह आकाशवाणी

1968 एससी 1064:[1968] एस. सी. आर. 812; प्रभु दयाल सेस्मा बनाम राजस्थान राज्य (1986) 4 एस. सी. सी. 59:[1986] 3 एससीआर

665; तरुण प्रसाद चटर्जी बनाम दीनानाथ शर्मा

एच.

486 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 14 एस. सी. आर.

(2000) 8 एससीसी 649:[2000] 3 पूरक।एस. सी. आर. 634; बी. आर. कपूर बनाम टी. एन. राज्य & एन. आर. (2001) 7 एस. सी. सी. 331:[2001] 3

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 191;** न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम राम दयाल और अन्य (1990) 2 एससीसी 680:[1990] 2

एस**.** सी**.** आर**. 570;** नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीजूभाई नाथूजी डाभी और अन्य। **(1997) 1** एससीसी **66:[1996] 8** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 929;** मध्य प्रदेश राज्य बनाम पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान और विकास केंद्र

& ओआरएस। (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 687-लागू नहीं है।

भारत संघ बनाम मेसर्स जीएस चठा राइस मिल्स **(2020)** एससीसी ऑनलाइन एससी **770;** गोकाराजू रंगाराजू बनाम स्टेट ऑफ इंडिया

ग

आंध्र प्रदेश (1981) 3 एससीसी 132:[1981] 3 एससीआर

474; पुष्पादेवी एम**.** जटिया बनाम। एम**.** एल**.** वधावन**,** अपर सचिव**,** भारत सरकार और अन्य।**(1987) 3** एससीसी

367 :[1987] 3 एस**.** सी**.** आर**. 46-**निर्भर।

के**.** प्रभाकरण बनाम पी**.** जयराजा**, (2005) 1** एससीसी **754:[2005] 1** एससीआर **296;** पशुपति नाथ सुकुल बनाम नेम

डी.

चंद्र जैन (1984) 2 एससीसी 404:[1984] 1 एससीआर 939-प्रतिष्ठित।

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी बनाम भगवती देवी

(1998) 6 एस**.** सी**.** सी**. 534-**संदर्भित।

ई.

पियर्सन बनाम गृह विभाग के लिए राज्य सचिव (1997) 3 सभी ईआर 577; के-जेनरेशन पीटीवाई। लिमिटेड बनाम।शराब

अनुज्ञप्ति न्यायालय, (2009) 83 ए. एल. जे. आर. 327; एफ. बी. वारेन

(1938) 2 सभी ई**.** आर**. 331;** पुलिन बिहारी दास और अन्य बनामराजा।

सम्राट (1912) 15 Cal.LJ 517-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

च

[1982] 3 एससीआर **318**

पर भरोसा किया

पैरा **20**

[1968] एससीआर **812**

लागू नहीं होने वाला पैरा **21**

[1986] 3 एससीआर **665**

लागू नहीं होने वाला पैरा **27**

जी.

[2000] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 634** लागू नहीं होने वाला पैरा **28 [2001] 3** अनुपूरक।एस**.** सी**.** आर**. 191** अप्रयोज्य पैरा **31 [2005] 1** एस**.** सी**.** आर**. 296** विशिष्ट पैरा **40** ए

एच.

487

प्रदीप कुमार संथालिया बनाम धीरज प्रसाद साहू @धीरज साहू ए

[1990] 2 एससीआर **570**

लागू नहीं होने वाला पैरा **41**

[1996] 8 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 929** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **41 (1998) 6** एस**.** सी**.** सी**. 534** पैरा **41 [1984] 1** एस**.** सी**.** आर**. 939** विशिष्ट पैरा **50 [1981] 3** एस**.** सी**.** आर**. 474** पैरा **55 [1987] 3** एस**.** सी**.** आर**. 46** पैरा **56** पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 611

2020

ग

2018 के ई. पी. सं. 1 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सह

2020 की सिविल अपील संख्या 2159

मुकुल रोहतगी, के. वी. विश्वनाथन, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता।, इंद्रजीत सिन्हा, निखिल रोहतगी, सुश्री मीशा रोहतगी, शशांक खुराना, बिभास सिन्हा, भरत मोंगा, निशांत पाटिल, अजीम, सुश्री स्नेहा रवि अय्यर, जावेदुर रहमान, आदित्य भट, मनोज सी. मिश्रा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

एस. ए. बोबडे, सीजेआई

1. इन अपीलों में विचार के लिए दूरगामी परिणाम का एक दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है।वह यह है।"क्या राज्य सभा के चुनाव में, चुनाव की तारीख को पूर्वाह्न में, विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा डाला गया वोट, उसी दिन दोपहर में आपराधिक न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा के कारण उसकी अयोग्यता के परिणामस्वरूप अमान्य हो जाएगा?"

च

2. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

जी.

3. इन अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे का जवाब देने के लिए पर्याप्त संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) दिनांक 05.03.2018 की एक अधिसूचना द्वारा, भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड राज्य से राज्य परिषद की दो सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचित किया;

एच.

(ii) प्रदीप कुमार सोंथालिया, समीर उरांव और धीरज प्रसाद साहू नाम के तीन उम्मीदवारों ने 12.03.2018 पर अपना नामांकन दाखिल किया।यह कहा जाता है कि पहले दो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के थे, और तीसरे उम्मीदवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के थे।

(iii) आई. डी. 1 पर विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच चुनाव हुआ।झारखंड राज्य की विधानसभा के कुल 80 सदस्यों ने अपना वोट डाला।

(iv) श्री अमित कुमार महतो, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी (जे. एम. एम.) से संबंधित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे, ने स्वीकार किया कि उन्होंने 23.03.2018 पर सुबह 9.15 बजे अपना वोट डाला। (v) जैसा कि भाग्य (मतदाता का नहीं बल्कि प्रतियोगी का) होता, श्री अमित कुमार महतो को 2010 के सत्र परीक्षण में रांची के अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त XVIII की अदालत ने उसी दिन आई. पी. सी. की धारा 147,323/149,341/149,353/149,427/149 और 506/149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था, लेकिन दोषसिद्धि और सजा दोपहर 2:30 बजे सौंपी गई थी। उन्हें उन अपराधों के लिए विभिन्न अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन सभी को एक साथ भागना था।अधिकतम सजा धारा 506/149 के तहत अपराध के लिए थी और अदालत ने दो साल की अवधि के लिए आर. आई. का फैसला सुनाया।

ग

डी.

ई.

(vi) चूंकि राज्य परिषद का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा होता है, इसलिए वोटों की गिनती 23.03.2018 पर शाम 7:30 बजे शुरू हुई।डाले गए 80 मतों में से दो को निर्वाचन अधिकारी ने अमान्य घोषित कर दिया।शेष 78 वोट, जो वैध रूप से डाले गए थे, उन्हें अंकों में परिवर्तित कर दिया गया (100 अंक प्रति वोट की दर से) और प्रदीप कुमार सोंथालिया को 2599 मूल्य के वोट प्राप्त हुए, समीर उरांव को 2601 मूल्य के वोट प्राप्त हुए और धीरज प्रसाद साहू को 2600 मूल्य के वोट प्राप्त हुए।इस प्रकार, चुनाव याचिकाकर्ता को पराजित घोषित किया गया और अन्य दो को विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया।

च

जी.

(vii) ऐसा प्रतीत होता है कि 11.20 अपराह्न में एक आपत्ति दर्ज की गई थी जिसमें निर्वाचन अधिकारी से ए द्वारा डाले गए वोट की घोषणा करने का अनुरोध किया गया था।

एच.

489

प्रदीप कुमार संथालिया बनाम धीरज प्रसाद साहू @धीरज साहू [एसए बोबडे, सीजेआई] ए

श्री अमित कुमार महतो अपराध न्यायालय द्वारा उसी दिन दोपहर में दी गई दोषसिद्धि और सजा के आधार पर अमान्य हैं।

(viii) हालांकि, निर्वाचन अधिकारी ने आगे बढ़कर 24.03.2018 पर 12.15 AM पर परिणाम घोषित किए।श्री समीर उरांव और श्री धीरज प्रसाद साहू को निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया था और उन्हें चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 85 के संदर्भ में प्रपत्र संख्या 24 में एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था।

(ix) इसलिए, पराजित उम्मीदवार प्रदीप कुमार सोंथालिया ने चुनाव याचिका No.01/2018 में एक चुनाव याचिका दायर की, जिसमें यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया कि निर्वाचन अधिकारी ने श्री अमित कुमार महतो के अमान्य वोट का अनुचित स्वागत किया है।उन्होंने श्री धीरज प्रसाद साहू के चुनाव को एक परिणामी घोषणा के साथ रद्द करने का भी अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता को विधिवत राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था; (x) उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका में विचार के लिए 6 मुद्दों को तैयार किया और वे इस प्रकार हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

1. क्या श्री अमित कुमार महतो ने प्रत्यर्थी के पक्ष में अपना वोट डाला है। 1 झारखंड राज्य के संबंध में राज्य परिषद के द्विवार्षिक चुनाव, 2018 में?

ई.

2. क्या अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-XVIII, रांची द्वारा 2010 के सत्र परीक्षण संख्या 481 में दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा सुनाए जाने पर, श्री अमित कुमार महतो विधान सभा के सदस्य नहीं रह गए और उनकी अयोग्यता उनकी दोषसिद्धि और दो साल की सजा की तारीख से तुरंत लागू हो गई और इसलिए, श्री अमित कुमार महतो के मत को गिनती के समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता था?

च

जी.

3. क्या श्री अमित कुमार महतो की अयोग्यता ने उनके वोट को अमान्य/अवैध बना दिया जो प्रतिवादी नं.1 और, इसलिए, उनके वोट का स्वागत अनुचित था और इस प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (डी) (iii) के संदर्भ में, प्रतिवादी नं। 1 को शून्य घोषित किया जा सकता है?

एच.

4. क्या याचिकाकर्ता की ओर से इस आधार पर की गई आपत्ति को खारिज करने के लिए निर्वाचन अधिकारी का संचार (ई-मेल दिनांक 24.03.2018) कि निर्वाचन अधिकारी को परिणाम घोषित होने तक श्री अमित कुमार महतो की दोषसिद्धि का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था, पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी है?

5. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के संदर्भ में श्री अमित कुमार महतो की अयोग्यता उनकी दोषसिद्धि और दो साल की सजा की तारीख से प्रभावी होती है, जिसका अर्थ है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिन जो आधी रात से शुरू होता है और 24 घंटे की अवधि को कवर करता है, यानी 23.03.2018 से 00.00 घंटे तक प्रभावी होता है?

ग

6. प्रत्यर्थी नं। 1 राज्य परिषद के द्विवार्षिक चुनाव-2018 में 0.01 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किए जाने और श्री अमित कुमार महतो के अनुचित रूप से प्राप्त मत को नजरअंदाज किए जाने की स्थिति में, क्या याचिकाकर्ता सफल घोषित होने का हकदार है और इसके परिणामस्वरूप राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का?

डी.

(xi) 17.01.2020 दिनांकित एक निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अंक संख्या 1,2,3 और पर चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में एक निष्कर्ष दर्ज करने के बाद चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।5. अंक संख्या 4 और 6 पर उच्च न्यायालय ने कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया।

ई.

(xii) चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में मुद्दा संख्या 1,2,3 और 5 का निर्णय लेने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिकाकर्ता को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, मुख्य रूप से इस आधार पर कि एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा राज्य परिषद का चुनाव एक अत्यधिक जटिल, तकनीकी मुद्दा है और यह कि अदालत के लिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि क्या चुनाव याचिकाकर्ता चुनाव जीत सकता था, अगर वह एक वोट खारिज कर दिया गया था।

च

जी.

(xiii) यह पाते हुए कि शल्य चिकित्सा सफल रही लेकिन रोगी की मृत्यु हो गई, चुनाव याचिकाकर्ता ने 2020 की सिविल अपील No.611 में एक अपील दायर की है।अंक संख्या 1,2,3 और 5 पर निष्कर्षों से व्यथित, दो लौटे उम्मीदवारों में से एक, श्री धीरज प्रसाद साहू, दूसरी अपील ए के साथ आए हैं।

अर्थात् 2020 की सिविल अपील No.2159।सुविधा के उद्देश्य से, हम 2020 की सिविल अपील संख्या 611 में अपीलार्थी को पूरे समय अपीलार्थी के रूप में और दूसरी अपील में अपीलार्थी को वापस किए गए उम्मीदवार के रूप में संदर्भित करते हैं।

4. आगे बढ़ने से पहले, यह दर्ज किया जाना चाहिए कि हमारे सामने या उच्च न्यायालय के समक्ष इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि श्री अमित कुमार महतो ने सुबह 9.15 बजे मतदान किया और आपराधिक अदालत का फैसला उसी दिन दोपहर 2:30 बजे दिया गया था।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष, चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से अनुमान की वैधता के बारे में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि श्री। अमित कुमार महतो ने श्री धीरज प्रसाद साहू के पक्ष में अपना वोट डाला।जब तक श्री अमित कुमार महतो ने श्री धीरज प्रसाद साहू के पक्ष में अपना वोट नहीं डाला होता, तब तक जिस पूरी इमारत पर चुनाव याचिका बनाई गई थी, वह ध्वस्त हो सकती थी।इसलिए निर्वाचन अधिकारी श्री बिनय कुमार सिंह से पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की गई और उनके माध्यम से मूल मतपत्र, जिसके द्वारा श्री अमित कुमार महतो ने अपना वोट डाला, को प्रदर्शनी-9 के रूप में चिह्नित किया गया।उसी के आधार पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री अमित कुमार महतो ने कांग्रेस उम्मीदवार श्री धीरज प्रसाद साहू के पक्ष में अपना वोट डाला।पीडब्लू-1 और प्रदर्शनी-9 के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट था कि श्री अमित कुमार महतो ने अपनी वरीयता का दूसरा, तीसरा और चौथा वोट नहीं डाला।इसलिए, अमित कुमार महतो द्वारा डाले गए वोट की वैधता महत्वपूर्ण हो गई, विशेष रूप से जीत के अंतर को देखते हुए।

ग

डी.

ई.

6. चूंकि अमित कुमार महतो द्वारा धीरज प्रसाद साहू के पक्ष में अपना वोट डालने की तथ्यात्मक स्थिति अब अनुपलब्ध हो गई है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कई मुद्दे अब महत्वहीन हो गए हैं।केवल 2 मुद्दे हैं जो अब विचार के लिए बचे हुए हैं और वे हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

(i) क्या श्री अमित कुमार महतो द्वारा सुबह 9.15 बजे श्री धीरज प्रसाद साहू के पक्ष में मतदान को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) के तहत मतदाता को अयोग्य ठहराए जाने के कारण अमान्य मत माना जाना चाहिए, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के साथ पढ़ा जाता है।

जी.

एच.

((ii) क्या पहले मुद्दे का सकारात्मक उत्तर दिए जाने की स्थिति में, चुनाव याचिकाकर्ता स्वचालित रूप से विधिवत निर्वाचित घोषित होने का हकदार है।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जैसा कि ऊपर तैयार किया गया है, दूसरा प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक हो और अन्यथा न हो।

8. आगे बढ़ने से पहले, हम यह इंगित कर सकते हैं कि दो सहायक मुद्दे अर्थात् (i) चुनाव याचिका में एक पक्ष के रूप में भारत के चुनाव आयोग का गैर-याचिकाकर्ता; और (ii) मतों की फिर से गिनती के लिए एक विशिष्ट अनुरोध के अभाव पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था।हो सकता है कि इन मुद्दों को महत्व मिला हो, लेकिन अंक संख्या 1,2,3 और 3 पर निष्कर्षों के खिलाफ श्री धीरज प्रसाद साहू द्वारा दायर अपील के लिए।5. इसलिए, इन सहायक मुद्दों को इस स्तर पर हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है।

ग

9. पराजित उम्मीदवार, जो पहली दीवानी अपील में अपीलकर्ता हैं, की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और श्री के. वी. विश्वनाथन का प्राथमिक तर्क यह है कि जहां भी कोई क़ानून किसी घटना के संदर्भ में "तिथि" शब्द का उपयोग करता है, अदालतों ने हमेशा उसी की व्याख्या पिछले दिन और वर्तमान दिन के चौराहे पर की है, अर्थात् 00.01 सुबह। ऐसा पहली बार इसलिए है क्योंकि यह उस समय होता है जब दिन शुरू होता है और दूसरी वजह यह है कि कानून अंशों को नापसंद करता है।इसलिए, यह उनका तर्क है कि हालांकि सत्र न्यायालय ने अपना दोषसिद्धि और सजा का फैसला दोपहर 2:30 बजे दिया, लेकिन इस तरह की दोषसिद्धि की तारीख कानूनी रूप से लगभग सुबह 2 बजे शुरू हुई मानी जाती है जब 22 मार्च की तारीख समाप्त हो गई और 23 मार्च की तारीख शुरू हुई।विद्वान वरिष्ठ वकील का आगे यह तर्क है कि यदि निर्णय देने का समय अप्रासंगिक है और ध्यान वास्तव में दोषसिद्धि की तारीख पर है, तो अयोग्यता भी 23.03.2018 पर 00.01 पूर्वाह्न से शुरू होगी।एक परिणाम के रूप में, 23.03.2018 पर सुबह 9.15 बजे डाला गया वोट एक अयोग्य सदस्य द्वारा दिया गया वोट होगा और इस प्रकार अमान्य होगा।

डी.

ई.

च

10. उपरोक्त विवाद की सच्चाई का परीक्षण करने के लिए, पहले संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है।

जी.

11. संविधान के अनुच्छेद 191 में उन परिस्थितियों की बात की गई है जिनके तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा (i) या तो (ii) के रूप में चुने जाने के लिए या राज्य विधानसभा का सदस्य होने के लिए।अनुच्छेद 191 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि इसमें ए में एक प्रतियोगिता दोनों शामिल हैं।

एच.

एक चुनाव और निर्वाचित होने के बाद पद पर बने रहना।वह इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“191. सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ

(1) एक व्यक्ति को किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

(क) यदि वह भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद रखता है, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं करने के लिए कानून द्वारा घोषित पद के अलावा;

ग

(ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है;

(ग) यदि वह एक अविमुक्त दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर चुका है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी भी स्वीकृति के अधीन है;

डी.

(ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

ई.

[स्पष्टीकरण।- इस खंड के प्रयोजनों के लिए] किसी व्यक्ति को भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य की सरकार के तहत केवल इस कारण से लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह संघ या ऐसे राज्य का मंत्री है।

च

[(2) एक व्यक्ति को किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

12. यदि कोई व्यक्ति, विधानसभा का सदस्य होने के नाते, अयोग्यता का सामना करता है, तो उसकी सीट खाली हो जाती है। इस स्थिति का ध्यान अनुच्छेद 190 द्वारा रखा गया है जो इस प्रकार हैः

जी.

“190. सीटों की छुट्टी-(1)।

(2).....

(3) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य -

एच.

(क) अनुच्छेद 191 के खंड (1) या खंड (2) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है; या

(ख) यथास्थिति, सभापति या सभापति को संबोधित करते हुए अपने हाथ से लिख कर अपने पद से त्यागपत्र देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगाः[बशर्ते कि उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी इस्तीफे की स्थिति में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के बाद, जैसा कि वह उचित समझता है, अध्यक्ष या अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि ऐसा इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है, तो वह ऐसा इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगा।

ग

13. यह दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट है कि वह घटना जो धारा 8 (3) के साथ पठित अनुच्छेद 191 (1) (ई) के तहत अयोग्यता का कारण बनती है, किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि है।इस तरह की अयोग्यता का परिणाम यह है कि सीट खाली हो जाती है।जाहिर है इसलिए, विधान सभा का कोई सदस्य जो अयोग्य हो गया है और जिसकी सीट खाली हो गई है, वह अनुच्छेद 80 (4) के तहत अपने राज्य से प्रतिनिधि चुनने के लिए अपना वोट डालने का हकदार नहीं है, जिसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि "निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे"।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,

1951 की धारा 152 के तहत रखी गई राज्य विधानसभा के सदस्यों की सूची से उनका नाम हटाया जा सकता है।विधानसभा सदस्य द्वारा चुनाव के संबंध में वह निर्वाचक नहीं रह जाता है और अपना वोट नहीं डाल सकता है।

डी.

ई.

14. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के सदनों/सदनों के चुनावों के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, भ्रष्ट प्रथाओं आदि के प्रावधान के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।अधिनियम की धारा 8 कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता से संबंधित है।अयोग्यता के उद्देश्य से, अपराधों को धारा 8 में 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्

च

जी.

((i) उप-धारा (1) (ii) के अधीन आने वाले अपराध और

((ग) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन न आने वाले अपराध।

एच.

495

प्रदीप कुमार संथालिया बनाम धीरज प्रसाद साहू @धीरज साहू [एसए बोबडे, सीजेआई] ए

क.

15. अयोग्यता के परिणामस्वरूप सदस्य को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 152 के तहत मतदाताओं की सूची से हटा दिया जाता है, हालांकि वास्तविक विलोपन में समय लग सकता है।किसी भी मामले में, वह चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 2 (डी) के अनुसार एक निर्वाचक नहीं रह जाता है, जिसमें प्रावधान है कि विधानसभा सदस्यों द्वारा चुनाव के संबंध में एक निर्वाचक का अर्थ है उस चुनाव में मतदान करने का हकदार कोई भी व्यक्ति।16. हम इस मामले में धारा 8 की उप-धारा (3) से चिंतित हैं, क्योंकि अमित कुमार महतो को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था जो या तो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत नहीं आते हैं।इसलिए, केवल धारा 8 की उप-धारा (3) को निम्नानुसार निकाला गया हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“8. कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता।**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

ग

(1).....

(2) .....

(3) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा पाए व्यक्ति (उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के अलावा) को इस तरह के दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य ठहराया जाएगा और उसकी रिहाई के बाद से छह साल की और अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाता रहेगा।]”

डी.

17. 1951 के अधिनियम 43 की धारा 8 के तहत अयोग्यता संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) से संबंधित है।इसलिए, धारा 8 की कोई भी व्याख्या संवैधानिक योजना के अनुरूप होनी चाहिए।

ई.

18. जैसा कि इस न्यायालय के पास सरिता एस. नायर बनाम हिबी ईडन 1 में इंगित करने का अवसर था, अधिनियम की धारा 8 (3) अयोग्यता की शर्तों और अयोग्यता की अवधि दोनों से संबंधित है।जहां तक अयोग्यता की अवधि का संबंध है, धारा 8 (3) इस मायने में व्यापक है कि यह अवधि के प्रारंभ और इसकी समाप्ति दोनों को इंगित करती है।दोषसिद्धि की तारीख अयोग्यता की शुरुआत का बिंदु निर्धारित की गई है और रिहाई के बाद छह साल की अवधि पूरी होने की तारीख, अयोग्यता की अवधि की समाप्ति के बिंदु के रूप में निर्धारित की गई है।

च

जी.

19. एक बार अयोग्यता की अवधि शुरू होने के बाद, अयोग्य व्यक्ति द्वारा अब तक रखी गई सीट संविधान के अनुच्छेद 190 (3) के आधार पर खाली हो जाती है।अयोग्य व्यक्ति की सीट खाली होने के बारे में बात करते हुए, अनुच्छेद 190 (3) "उसके बाद" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

एच.

"तारीख" शब्दों की व्याख्या करते समय हमें इसे ध्यान में रखना पड़ सकता है।

इस तरह का विश्वास "।

20. धारा 8 (3) में दिखाई देने वाले वाक्यांश की व्याख्या करते समय एक मौलिक सिद्धांत जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ सकता है, वह यह है कि इस प्रकृति के मामलों में, न्यायालय किसी मौलिक अधिकार या सामान्य कानून के अधिकार से संबंधित नहीं है।जैसा कि इस न्यायालय ने ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल 2 में स्पष्ट रूप से कहा है, एक चुनाव विवाद एक विशेष अधिकार क्षेत्र में निहित है और इसलिए इसका प्रयोग सामान्य कानून और समानता से परिचित अवधारणाओं को आयात किए बिना किया जाना चाहिए, जब तक कि वे क़ानून में ही निहित न हों।हम उपयोगी रूप से ज्योति बसु में निर्णय के प्रासंगिक हिस्से को निकाल सकते हैं जो इस प्रकार हैः

“8. चुनने का अधिकार, भले ही यह लोकतंत्र के लिए मौलिक हो, विसंगत रूप से पर्याप्त है, न तो एक मौलिक अधिकार है और न ही एक सामान्य कानून अधिकार।यह शुद्ध और सरल, एक वैधानिक अधिकार है।निर्वाचित होने का अधिकार भी है।चुनाव पर विवाद करने का भी यही अधिकार है।कानून के बाहर, चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं है, निर्वाचित होने का कोई अधिकार नहीं है और चुनाव पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है।सांविधिक सृजन वे हैं, और इसलिए, सांविधिक सीमा के अधीन हैं।चुनाव याचिका सामान्य कानून पर कार्रवाई नहीं है, न ही निष्पक्षता में।यह एक वैधानिक कार्यवाही है जिसमें न तो सामान्य कानून और न ही समानता के सिद्धांत लागू होते हैं, बल्कि केवल वे नियम लागू होते हैं जिन्हें क़ानून बनाता है और लागू करता है।यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र है और इसे बनाने वाली वैधानिक व्यवस्था के अनुसार हमेशा एक विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए।सामान्य कानून और समानता से परिचित अवधारणाओं को तब तक चुनाव कानून के लिए अजनबी रहना चाहिए जब तक कि वैधानिक रूप से मूर्त रूप न दिया जाए।

ग

डी.

ई.

21. इस न्यायालय के निर्णय पर भारी निर्भरता रखना

पशुपति नाथ सिंह बनाम हरिहर प्रसाद सिंह **3,** यह तर्क दिया जाता है

च

कि जहाँ कहीं भी क़ानून "तारीख को" शब्दों का उपयोग करता है, उसका अर्थ "पूरे दिन" माना जाना चाहिए और वह कानून जहाँ तक संभव हो, दिन के अंशों की अवहेलना करता है।

22. लेकिन हमारे सुविचारित विचार में पशुपति नाथ सिंह शायद ही अपीलार्थी के तर्क का समर्थन करते हैं।उस मामले में डुमरो निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के चुनाव का मुद्दा था।कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करना 13.01.1967 से 20.01.1967 तक होना था।नामांकन पत्रों की जांच की तिथि

जी.

2 (1982) 1 एससीसी 691 3 एआईआर 1968 एससी 1064 ए

एच.

497

प्रदीप कुमार संथालिया बनाम धीरज प्रसाद साहू @धीरज साहू [एसए बोबडे, सीजेआई] ए

इसे 21.01.1967 के रूप में तय किया गया था।निर्वाचन अधिकारी ने, आई. डी. 1 पर नामांकनों की जांच करने पर, इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के नामांकन पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने या तो जांच से पहले या बाद में जांच की तारीख को अनुच्छेद 173 के खंड (ए) द्वारा आदेशित अपेक्षित शपथ या पुष्टि नहीं की थी और उसे स्वीकार नहीं किया था।उस मामले में जो प्रश्न उठा था, उसे पैराग्राफ 4 में इस प्रकार तैयार किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“4. इस अपील में जो छोटा सवाल उठता है वह यह है कि क्या किसी उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र की जांच के लिए निर्धारित तिथि से पहले संविधान के अनुच्छेद (ए) द्वारा आदेशित अपेक्षित शपथ या प्रतिज्ञान करना और उसकी सदस्यता लेना आवश्यक है।दूसरे शब्दों में, क्या एक उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति उठाए जाने पर अपेक्षित शपथ लेने और सदस्यता लेने का हकदार है या नामांकन की जांच शुरू होने से पहले उसने आवश्यक शपथ या पुष्टि की होगी और सदस्यता ली होगी?"

ग

डी.

23. उपरोक्त प्रश्न के उत्तर ने अधिनियम की धारा 36 (2) की व्याख्या को चालू कर दिया, जिसके खंड (ए) में "जांच के लिए निर्धारित तिथि पर" शब्दों का उपयोग किया गया था।पशुपति नाथ सिंह के मामले में इस अदालत के समक्ष अपीलार्थी का तर्क था कि वह आपत्ति किए जाने के तुरंत बाद, लेकिन आपत्ति पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा विचार किए जाने से पहले, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेने का हकदार था।चूंकि धारा 36 (2) (ए) "जांच के लिए निर्धारित तिथि पर" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है, इसलिए पशुपति नाथ सिंह में अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि जिस पूरे दिन जांच हुई थी, वह उसके लिए उपलब्ध था।हालाँकि, इस तर्क को इस न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से खारिज कर दिया थाः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

“16. इस संबंध में यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून

जहां तक संभव हो, दिन के अंशों की उपेक्षा करता है।इससे बहुत भ्रम पैदा होगा यदि यह माना जाता है कि कोई उम्मीदवार नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि के अंत तक किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हता प्राप्त करने का हकदार होगा।यदि याचिकाकर्ता का विद्वान वकील सही है, तो उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी को शपथ लेने में सक्षम बनाने के लिए जांच के लिए निर्धारित तिथि को रात **1** बजे तक प्रतीक्षा करने के लिए कह सकता है।

जी.

24. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने पशुपति नाथ सिंह में "तिथि" शब्दों की व्याख्या की, जरूरी नहीं कि इसका अर्थ 00.01 AM से 24.00 हो।

एच.

पी. एम. यह इस तथ्य के बावजूद था कि आम बोलचाल में एक तारीख का मतलब 24 घंटे का समय होगा।लेकिन जिस क्षण पशुपति नाथ सिंह में अपीलार्थी का नामांकन जांच के लिए लिया गया, उसी समय समय की गति रुक गई।इस प्रकार, इस अदालत द्वारा पशुपति नाथ सिंह मामले में 24 घंटे के पूरे दिन का लाभ उसमें अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराया गया था और इस अदालत ने पशुपति नाथ सिंह मामले में नामांकन पत्रों की जांच की घटना पर पर्दा डालने में निर्वाचन अधिकारी के कार्य को बरकरार रखा था।

25. वास्तव में, पशुपति नाथ सिंह को एक दर्पण छवि या हाथ में मामले का उल्टा कहा जा सकता है।हाथ में एक घटना के प्रारंभ की अवधि प्रश्न में है, जबकि पशुपति नाथ सिंह में निष्कर्ष की अवधि विवाद में थी।अगर उस तारीख को

ग

जांच को उस समय समाप्त माना जा सकता है जब जांच की घटना को लिया गया था, हमें उसी तर्क से यह मानना चाहिए कि दोषसिद्धि और परिणामी अयोग्यता जैसी घटना के शुरू होने की तारीख भी उसी समय से शुरू होनी चाहिए जब घटना हुई थी।

डी.

26. वास्तव में, इस मामले में अपीलार्थी का तर्क एक दोधारी हथियार है।यदि 23.03.2018 पर दोपहर 2:30 बजे हुई दोषसिद्धि और सजा की घटना 00.01 AM से संबंधित हो सकती है, तो श्री द्वारा मतदान की घटना।अमित कुमार महतो जो सुबह 9.15 बजे हुआ था, वह भी 00.01 AM से संबंधित हो सकता है। एक बार जब दोनों को तारीख शुरू होने के समय से संबंधित माना जाता है, तो परिणामी पहेली का समाधान नहीं किया जा सकता है।यही कारण है कि, पशुपति नाथ सिंह में एक ऐसी व्याख्या प्रदान करने पर जोर दिया गया था जिससे भ्रम से बचा जा सके।

ई.

27. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रभु दयाल सेस्मा बनाम राजस्थान राज्य 4 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, उनके इस तर्क के समर्थन में कि एक कानूनी तारीख आधी रात 12 बजे के बाद शुरू होती है और अगली रात के उसी घंटे तक जारी रहती है।लेकिन प्रभु दयाल सेस्मा का उदय राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1962 के नियम 11 बी के संदर्भ में हुआ, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन में भाग लेने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु निर्धारित की गई थी।उस मामले में अपीलार्थी का जन्म आईडी1 पर हुआ था और नियम 11 बी ने निर्धारित किया कि चयन में भाग लेने के लिए एक आवेदक, आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद, जनवरी के पहले दिन 28 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर चुका होना चाहिए।इसलिए, जब अधिसूचना जारी की गई थी

च

जी.

एच.

4 (1986) 4 एससीसी 59 ए

499

प्रदीप कुमार संथालिया बनाम धीरज प्रसाद साहू @धीरज साहू [एसए बोबडे, सीजेआई] ए

वर्ष 1983 में, ऊपरी आयु सीमा की गणना 1 जनवरी, 1984 को की जानी थी।चूँकि अपीलार्थी का जन्म 02.01.1956 पर हुआ था और 01.01.1984 पर 28 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था।ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय ने भारतीय बहुसंख्यक अधिनियम 1875 की धारा 4 पर ध्यान दिया, जिसमें किसी भी व्यक्ति की आयु की गणना की विधि निर्धारित की गई थी।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियम 11 बी में "नहीं होना चाहिए" शब्दों का उपयोग किया गया है।

28 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ", इस अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि

उसमें अपीलार्थी ने उक्त आयु आधी रात 12 बजे प्राप्त की जब 1 जनवरी का जन्म हुआ था।हमें यहां यह बताना चाहिए कि यदि प्रभु दयाल सेस्मा सेवानिवृत्ति के मामले से संबंधित हैं, तो उन्हें उसी तर्क से 1 जनवरी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त हुई होगी, लेकिन 1 जनवरी को 2400 बजे।लेकिन नियम 11 बी ने अनिवार्य किया कि उम्मीदवार को "अनिवार्य" होना चाहिए।

ग

हासिल नहीं किया है "।इसलिए प्रभु दयाल सेस्मा भी नहीं जाते।

अपीलार्थी के बचाव के लिए।

28. तरुण प्रसाद चटर्जी बनाम दीनानाथ शर्मा **5,** पर भरोसा किया गया

आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 81 (1) के तहत चुनाव याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि की गणना के प्रश्न से संबंधित अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा।इसलिए, इस न्यायालय ने सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 का उल्लेख किया, जिसमें उस तरीके को निर्धारित किया गया है जिसमें समय के प्रारंभ और समाप्ति को निर्धारित करने वाले कानूनों को "से" और "से" जैसे अभिव्यक्तियों का उपयोग करके लिखा जा सकता है।लेकिन यह निर्णय अपीलार्थी के लिए इस सरल कारण से भी कोई सहायक नहीं है कि अधिनियम की धारा 8 (3) में "से" शब्द का उपयोग किया गया है और साथ ही साथ

डी.

ई.

अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि की तारीख" और तरुण प्रसाद चटर्जी

केवल "से" शब्द को दी जाने वाली व्याख्या से संबंधित है।

29. किसी भी मामले में, तरुण प्रसाद चटर्जी को जाने की आवश्यकता नहीं थी

जहाँ तक सामान्य खंड अधिनियम की बात है, धारा 12 (1) के कारण सीमा अधिनियम, 1963 स्वयं सीमा की अवधि की गणना करते समय उस तारीख को हटाने का प्रावधान करता है जिससे सीमा की अवधि की गणना की जानी है।30. हमें इस मोड़ पर यह इंगित करना चाहिए कि आपराधिक कानून में भी, (i) किसी व्यक्ति को हुए कारावास की अवधि की गणना करते समय "तिथि" अभिव्यक्ति को दी जाने वाली व्याख्या और (ii) अपील/संशोधन दायर करने के लिए अवधि सीमा की गणना करते समय उसी अभिव्यक्ति को दी जाने वाली व्याख्या के बीच एक बड़ा अंतर है।उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसके अनुसार 23.03.2018 पर हिरासत में भी लिया जाता है।

च

जी.

6 (2000) 8 एस. सी. सी. 649

एच.

500

23 मार्च का पूरा दिन कारावास की कुल अवधि में शामिल किया जाएगा।लेकिन इसके विपरीत, 23 मार्च के दिन को अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करने के लिए बाहर रखा जाएगा।हालांकि एक दूसरे के विपरीत है, दोनों व्याख्याओं का उद्देश्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है।31. बी. आर. कपूर बनाम में संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा करना। टी. एन. और ए. एन. आर. का राज्य 6 अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 191 और आर. पी. अधिनियम की धारा 8 के तहत अयोग्यता एक दंडात्मक प्रावधान नहीं है और इसलिए लाभकारी निर्माण का सवाल नहीं उठेगा, विशेष रूप से जब इस तरह की अयोग्यता का उद्देश्य राजनीति को शुद्ध करना है।32. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोग्यता एक दंडात्मक प्रावधान नहीं है और अयोग्यता का उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण को रोकना है।33. लेकिन धारा 8 (3) के तहत इस मामले में अयोग्यता का कारण दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए एक आपराधिक अदालत द्वारा दोषसिद्धि थी।इसलिए, धारा 8 (3) में दिखाई देने वाले वाक्यांश "दोषसिद्धि की तारीख" को उन दंडात्मक प्रावधानों के संबंध में व्याख्या मिलनी चाहिए जिनके तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था।

ग

डी.

34. यह नियम कि किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, संवैधानिक कानून का एक दीर्घकालिक सिद्धांत है और इसे केवल सामान्य शब्दों के उपयोग से विस्थापित नहीं किया जा सकता है।कानून में इसे वैधता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है।पियर्सन में

ई.

बनाम गृह विभाग के लिए राज्य सचिव 7, हाउस ऑफ लॉर्ड्स

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक इसके विपरीत स्पष्ट प्रावधान नहीं है, संसद को कानून के शासन के विपरीत कानून बनाने के लिए नहीं माना जाता है जो 'निष्पक्षता के न्यूनतम मानक दोनों मूल और प्रक्रियात्मक' को लागू करता है।

35. हमारे विचार में यह अभिनिर्धारित करना कि विधान सभा का कोई सदस्य दोषी ठहराए जाने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था, दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने के उसके मूल अधिकार का घोर उल्लंघन होगा।ऑस्ट्रेलिया में इस सिद्धांत को कानून के शासन के एक पहलू के रूप में वर्णित किया गया है "जिसे संसद और न्यायालय दोनों जानते हैं, जिस पर वैधानिक भाषा की व्याख्या की जाएगी"।

च

जी.

36. वर्तमान मामले में, यह जोड़ना महत्वपूर्ण होगा कि कानून के सामान्य नियम के साथ "तिथि" शब्द के उपयोग में असंगत घोषणा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि "तिथि" शब्द काफी सक्षम है।

6 (2001) 7 एस. सी. सी. 211

7 (1997) 3 सभी ई. आर. 577

एच.

8 के-जेनरेशन पीटीवाई। लिमिटेड बनाम।शराब अनुज्ञप्ति न्यायालय, (2009) 83 ए. एल. जे. आर. 327 पैरा 47।

501

प्रदीप कुमार संथालिया बनाम धीरज प्रसाद साहू @धीरज साहू [एसए बोबडे, सीजेआई] ए

क.

इसका अर्थ है उस समय का बिंदु जब घटना पूरे दिन के बजाय हुई थी।

37. यह सर्वविदित धारणा कि एक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि वह दोषी नहीं पाया जाता है, को विकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि शब्द दोनों प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों को समायोजित कर सकते हैं।जबकि यह ज्ञात है कि एक बरी होना जन्म पर काम करता है, हमारे सामने इस प्रस्ताव के लिए कोई मामला उद्धृत नहीं किया गया है कि एक दोषसिद्धि अपने से एक मिनट पहले भी प्रभावी होती है।इसके अलावा, "तिथि" शब्द का उपयोग अवसर, समय, वर्ष आदि को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग वर्तमान तक के समय को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जब इसका उपयोग वाक्यांश "दो तिथियों" में किया जाता है।महत्वपूर्ण रूप से, "तिथि" शब्द का उपयोग समय आदि के एक बिंदु को दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। (रॉजेट्स इंटरनेशनल थिसॉरस का तीसरा संस्करण नोट 114.4 देखें)।38. यह कहना कि निर्दोषता की यह धारणा ए. एम. से वाष्पित हो जाएगी, हालांकि दोषसिद्धि को ए. एम. पर सौंप दिया गया था, आपराधिक न्यायशास्त्र के सबसे बुनियादी सिद्धांत की जड़ पर प्रहार करेगा।

ग

39. चूंकि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि दंडात्मक कानून के तहत होती है, इसलिए इसे दोषसिद्धि से पहले के समय से प्रभावी नहीं माना जा सकता है।जैसा कि डॉ. ए. एम. सिंघवी ने ठीक ही कहा है, इस अदालत ने कहा

डी.

भारत संघ बनाम मेसर्स जी**.** एस**.** चठा राइस मिल्स **9** कि कानूनी कल्पना नहीं हो सकती

तथ्यों पर प्रबल होते हैं जहां कानून इसे प्रबल करने का इरादा नहीं रखता है।यह एक ऐसा मामला था जिसमें भारत सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ए के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें पाकिस्तान से उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर शुल्क लगाया गया था।अधिसूचना 20 बजे ई-राजपत्र पर अपलोड की गई थी:46:58 16.02.2019 पर घंटे।भारत सरकार ने यह रुख अपनाया कि शुल्क की बढ़ी हुई दर उन लोगों पर भी लागू थी जिन्होंने ई-राजपत्र में बढ़ी हुई दर को अधिसूचित करने से पहले ही घर के उपभोग के लिए प्रवेश के बिल प्रस्तुत कर दिए थे।आयातकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष सीमा शुल्क अधिकारियों के दावे को सफलतापूर्वक चुनौती दी और भारत संघ इस न्यायालय में अपील पर आया।मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स में निर्णय के खंड एच में "दिन" और "तिथि" शब्दों की व्याख्या पर एक व्यापक विश्लेषण किया गया था।कई निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, जिनमें से कुछ सीमा कानून के तहत, कुछ बीमा कानून के तहत और कुछ चुनाव कानून के तहत उत्पन्न हुए, इस अदालत ने बताया कि इन अभिव्यक्तियों का अर्थ अलग-अलग संदर्भों में लगाया गया था और कानून में एक सामान्य स्थिति, जो विषय, संदर्भ और क़ानून से अलग है, निर्धारित नहीं की गई है।संक्षेप में

ई.

च

जी.

9 (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 770

इस न्यायालय ने कहा, "विधायी मौन रचनात्मकता के लिए जगह बनाते हैं" और "विधायी स्थानों और मौन के बीच, कानून को सामान्य ज्ञान के मजबूत अनुप्रयोग द्वारा आकार दिया जाता है।"

40. के. प्रभाकरण बनाम पी. जयराजन 10 में अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, वह उस प्रश्न से संबंधित नहीं था जिसका हम अब सामना कर रहे हैं।यह एक ऐसा मामला था जिसमें (i) 2 साल से कम की अवधि के लिए कारावास की कई सजाओं का प्रभाव, प्रत्येक को लगातार और समवर्ती रूप से नहीं चलाने का आदेश दिया गया था, जिससे अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत निर्धारित अवधि से अधिक हो गया था और (ii) चुनाव समाप्त होने के बाद एक आपराधिक मामले में दिए गए अपीलीय न्यायालय के निर्णय का प्रभाव प्रश्न में था।यह उस संदर्भ में है कि संविधान पीठ ने के. प्रभाकरण में निर्णय दिया कि आर. पी. अधिनियम की धारा 8 का अर्थ आई. डी. 1 के प्रावधानों के अनुरूप लगाया जाना चाहिए ताकि दोनों में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके।

ग

41. बीमा कानून के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों की अयोग्यता के मामलों से कोई प्रासंगिकता नहीं है।बीमा कानून के तहत भी व्याख्या के विभिन्न सिद्धांतों को सावधानीपूर्वक पोषित और विकसित किया गया है।

डी.

उदाहरण के लिए, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राम दयाल।

& ओआरएस। 11, यह न्यायालय एक ऐसे मामले से संबंधित था जहां एक वाहन का 31.08.1984 तक का बीमा कवर था, जिसका नवीनीकरण नहीं किया गया था।हालाँकि, 28.09.1984 पर एक नई नीति ली गई थी।उसी दिन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ता द्वारा देयता को अस्वीकार करने को बरकरार रखा, लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि दुर्घटना की तारीख को प्राप्त बीमा पॉलिसी बीमा की तारीख की शुरुआत से, यानी पिछली आधी रात से चालू हो गई।उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए, एक संक्षिप्त आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने आर. एफ. बी. वारेन 12 का उल्लेख किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक न्यायिक अधिनियम को उस दिन के पहले क्षण में संदर्भित किया जाएगा जिस दिन यह किया जाता है।लेकिन बाद में

ई.

च

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम जीजूभाई नाथूजी में निर्णय

डाभी और ओआरएस। **13,** इस न्यायालय ने राम दयाल **(**ऊपर**)** में निर्णय को यह कहते हुए समझाया कि यह केवल बीमा पॉलिसी में उस ओर से उल्लिखित किसी विशिष्ट समय के अभाव में ही अच्छा होगा।जीजूभाई नाथूजी डाभी **(**ऊपर**)** में**,** अदालत ने पाया कि अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि यह **25.10.1983** पर शाम **4** बजे से लागू होगा और इसलिए

जी.

10 (2005) 1 एस. सी. सी. 754 11 (1990) 2 एस. सी. सी. 680 12 (1938) 2 सभी ई. आर. 331 13 (1997) 1 एस. सी. सी. 66 ए

उसी दिन शाम **4** बजे से पहले हुई दुर्घटना के संबंध में बीमा कवरेज उपलब्ध नहीं था।न्यू इंडिया एस्योरेंस में भी जीजूभाई नाथूजी डाभी **(**उपरोक्त**)** के फैसले का पालन किया गया था।

कंपनी बनाम भगवती देवी **14.**

42. यह याद रखना चाहिए कि बीमा पॉलिसी अनुबंध के दायरे में आती है।इसलिए, इस तरह के अनुबंध की शर्तों को दी जाने वाली व्याख्या काफी हद तक पक्षों के इरादे पर निर्भर करेगी, जिसमें एक निश्चित सीमा तक उस पक्ष के पक्ष में होगी जिसकी सौदेबाजी की शक्ति अन्य अनुबंध करने वाले पक्ष के बराबर नहीं है।इसलिए, हमारे लिए बीमा अनुबंध में दिखाई देने वाले "तिथि" शब्द की दी गई व्याख्या को अपनाना संभव नहीं है।

ग

43. अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार करने के लिए हमें वैधानिक योजना को कुछ चौंका देने वाले इरादे के रूप में समझने की आवश्यकता होगी।

यह मानते हुए कि परिणाम कारण से पहले होता है।यह होगा

इस प्रावधान को बेतुका बना देते हुए और अदालतों से यह अभिनिर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि कोई परिणाम उसके कारण से पहले हो सकता है, लेकिन विद्वान वकील के अनुसार यह प्रावधान का इच्छित प्रभाव है क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक दोषी व्यक्ति को उसकी दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।लेकिन हम करते हैं।

डी.

सहमत नहीं हैं।अधिनियम की धारा **8 (3)** के तहत उत्पन्न अयोग्यता**,** आपराधिक न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा का परिणाम है।दूसरे शब्दों में**,** दोषसिद्धि कारण है और अयोग्यता परिणाम है।कोई परिणाम पहले कभी नहीं हो सकता।

ई.

कारण।यदि हम अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार करते हैं, तो माना जाएगा कि कारण सामने आने से पहले ही परिणाम हुआ था।
44. वापस लौटे उम्मीदवार के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संविधान अयोग्यता का सामना करने के बावजूद अयोग्य व्यक्तियों के बैठने और मतदान करने की आकस्मिकता का भी ध्यान रखता है और यह कि एक अदालत इस तरह से निर्धारित से आगे नहीं जा सकती है।इस आकस्मिकता का ध्यान रखने वाला अनुच्छेद 193 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“193. अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या पुष्टि करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड या जब योग्य नहीं हो या कब

अयोग्य ठहराए गए।- यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की आवश्यकताओं का पालन करने से पहले किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है, या जब वह जानता है कि वह योग्य नहीं है या वह उसकी सदस्यता के लिए अयोग्य है, या कि वह ऐसा करने से प्रतिबंधित है

जी.

14 (1998) 6 एस. सी. सी. 534

एच.

संसद या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार, वह प्रत्येक उस दिन के संबंध में, जिस दिन वह बैठता है या मतदान करता है, राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल किए जाने वाले पाँच सौ रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।"

45. अनुच्छेद 193 के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि जब कानून किसी कार्य के लिए कुछ परिणाम निर्धारित करता है, तो न्यायालय अतिरिक्त परिणाम नहीं लगा सकता है।मध्य प्रदेश राज्य बनाम केंद्र मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रिलायंस को इस संबंध में रखा गया है।

पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान और विकास और

ओआरएस। 15, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब कोई संविधि या सांविधिक नियम किसी कार्य या चूक के लिए दंड निर्धारित करता है, तो कोई अन्य दंड नहीं लगाया जा सकता है जिसका संविधि या नियमों में विचार नहीं किया गया है।

ग

46. लेकिन हमें नहीं लगता कि उपरोक्त निर्णय उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां किसी कार्य या चूक के कारण दंड के अलावा अन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं।हालांकि यह सच है कि किसी विशेष कार्य या चूक के लिए क़ानून द्वारा निर्धारित दंड के अलावा कोई अन्य दंड नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जहां तक दंड के अलावा अन्य परिणामों का संबंध है, उक्त सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है जो ऐसे कार्य या चूक से स्वतः निकलता है।

डी.

47. अनुच्छेद 193 एक गलती करने वाले सदस्य पर लगाए जाने वाले दंड से संबंधित है जो विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है (i) अनुच्छेद 188 की आवश्यकताओं का पालन करने से पहले; (ii) या जब वह जानता है कि वह सदस्यता के लिए योग्य नहीं है; (iii) या जब वह जानता है कि वह सदस्य होने के लिए अयोग्य है; (iv) या जब वह जानता है कि उसे किसी भी कानून द्वारा बैठने या मतदान करने से रोका गया है।

ई.

48. एक अयोग्यता जिसके लिए अनुच्छेद 193 के तहत दंड निर्धारित किया गया है, अनुच्छेद 193 में निर्धारित दंड के अलावा सदस्यता के साथ जाने वाले विशेषाधिकारों से इनकार जैसे नागरिक परिणामों को भी आमंत्रित करता है।एक बार जब कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है, तो वह सदस्य नहीं रह जाता है और उसकी सदस्यता के साथ उसका मतदान करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है।यह एक व्यक्ति के सदस्य बने रहने का एक स्वाभाविक परिणाम है और यह परिणाम स्वतः होता है और अनुच्छेद 193 पर निर्भर नहीं करता है।इसलिए, हम अनुच्छेद 193 को इस हद तक नहीं बढ़ा सकते हैं कि किसी सदस्य की अयोग्यता के स्वाभाविक परिणाम भी दंड के प्रिस्क्रिप्शन के कारण आकर्षित नहीं होंगे।49. हालाँकि, अनुच्छेद 193 और इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि क्या कोई अधिनियम या

च

जी.

एच.

15 (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 687 ए

अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति द्वारा की गई चूक भी नष्ट हो जाएगी और यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों में।

50. पशुपति नाथ सुकुल बनाम नेम चंद्र जैन **16** में से एक

विचार के लिए जो प्रश्न उठे थे वे यह थे कि क्या कोई व्यक्ति विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया है, लेकिन जिसने अनुच्छेद द्वारा आवश्यक निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञा नहीं की है और उसकी सदस्यता नहीं ली है।

188 राज्यसभा में एक सीट भरने के लिए चुनाव में किसी व्यक्ति को वैध रूप से उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित कर सकते हैं। यह प्रश्न विचित्र परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ।उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव मई, 1980 में हुए थे और निर्वाचित सदस्यों के नामों वाली अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के तहत 09.06.1980 पर जारी की गई थी।निर्वाचित सदस्यों को अधिसूचित किया गया था कि वे 27.06.1980 पर बैठक के लिए बुलाए गए विधानसभा के सत्र में अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ ले सकते हैं।लेकिन इस बीच, राज्यसभा में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव को 17.06.1980 पर अधिसूचित किया गया था।इसलिए, अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने वाले एक निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई।आपत्ति को खारिज कर दिया गया और नामित उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया।इसलिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका में प्रश्न उठा।

ग

डी.

51. अनुच्छेद 188 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“188. सदस्यों द्वारा शपथ या पुष्टि।- प्रत्येक सदस्य

किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा उस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगी और उस पर हस्ताक्षर करेगी।"

च

52. अनुच्छेद 188 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, पशुपति नाथ सुकुल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि अपनी सीट लेने से पहले, एक निर्वाचित व्यक्ति को शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहा है, तो उसे वोट देने के हकदार सदस्य के रूप में नहीं गिना जा सकता है।उक्त तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“हमारा विचार है कि एक निर्वाचित सदस्य जिसने शपथ नहीं ली है, लेकिन जिसका नाम अधिनियम की धारा 73 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में दिखाई देता है, वह सभी गैर-विधायी चुनावों में भाग ले सकता है।

16 (1984) 2 एस. सी. सी. 404

एच.

एक निर्वाचित सदस्य की गतिविधियाँ।राज्यसभा के चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग भी उनके द्वारा किया जा सकता है। इस मामले में चूंकि यह विवादित नहीं है कि प्रस्तावक का नाम उस तारीख से पहले शामिल किया गया था जिस दिन उसने अधिनियम की धारा 73 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में एक उम्मीदवार के रूप में अपीलार्थी का नाम प्रस्तावित किया था और अधिनियम की धारा 152 के तहत रखी गई मतदाता सूची में, यह माना जाना चाहिए कि नामांकन में कोई कमजोरी नहीं

थी।इसी कारण से अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी अधिसूचना में निर्वाचित सदस्यों के नाम वाली मतदाता सूची को भी अवैध नहीं माना जा सकता है।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने भी वास्तविक कानूनी स्थिति को समझ लिया है क्योंकि उन्हें एक ऐसे निर्वाचक द्वारा उम्मीदवार के रूप में भी प्रस्तावित किया गया था जिसने अभी तक शपथ या पुष्टि नहीं की थी।"

ग

53. इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 193 के तहत दंड के दायित्व को अस्वीकार करता है, निर्वाचित सदस्य द्वारा किया गया कार्य अमान्य होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन केवल कुछ परिस्थितियों में।उनमें से एक अनुच्छेद 188 की अवहेलना करने वाले मामलों के अलावा एक समान मामला हो सकता है।लेकिन स्थिति अलग होती अगर श्री अमित कुमार महतो को दोषी ठहराया जाता और उन्हें आई. डी. 1 की पूर्व संध्या पर सजा सुनाई जाती और फिर भी उन्होंने दोपहर में राज्यसभा के चुनाव में पूरी जानकारी के साथ मतदान किया होता।

डी.

ई.

54. अपीलार्थी के इस तर्क की भ्रांति कि किसी क़ानून में जहाँ भी "तिथि" शब्द का उपयोग किया गया है, उसे 00 से संबंधित समझा जाना चाहिए:01 ए. एम. को सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम इसे विपरीत स्थिति में लागू करते हैं। यदि एक काल्पनिक स्थिति में, दोषसिद्धि और सजा पूर्वाह्न में हुई होती और श्री अमित कुमार महतो ने दोपहर में अपना वोट डाला होता, तो पराजित उम्मीदवार ने यह तर्क नहीं दिया होता कि मतदान 00 बजे हुआ माना जाना चाहिए था:01 ए. एम.

च

55. किसी भी मामले में यह सिद्धांत कि अधिकारियों के कार्य वास्तव में जनता या तीसरे व्यक्ति के हित में और अपने स्वयं के लाभ के लिए नहीं, अपने कल्पित आधिकारिक प्राधिकरण के दायरे में किए गए थे, आम तौर पर वैध और बाध्यकारी माने जाते हैं जैसे कि वे थे

जी.

पुलिन बिहारी दास और ओआरएस बनाम पुलिन बिहारी दास बनाम पुलिन बिहारी दास बनाम पुलिन बिहारी दास

एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए निर्णय जिनकी नियुक्ति को न्यायालय द्वारा बाद में अमान्य घोषित किया गया था। इस न्यायालय ने बताया कि वास्तविक सिद्धांत अच्छी समझ, ठोस नीति और व्यावहारिक औचित्य पर आधारित है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी शरारत की रोकथाम और सार्वजनिक और निजी हित की रक्षा करना है।जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है कि यह सिद्धांत अंतहीन भ्रम और अनावश्यक अराजकता से बचाता है।

56. पुनः पुष्पादेवी एम. जटिया बनाम में। एम. एल. वधावन, अपर सचिव, भारत सरकार और अन्य।19 , यह न्यायालय

अनावश्यक भ्रम और अंतहीन शरारत को रोकने के लिए आवश्यकता और सार्वजनिक नीति से पैदा हुए एक के रूप में वास्तविक सिद्धांत को दोहराया।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

ग

“जहाँ कानून के तहत कोई पद मौजूद है, वहाँ यह मायने नहीं रखता कि पदधारी की नियुक्ति कैसे की जाती है, जहाँ तक उसके कार्यों की वैधता है।

वे चिंतित हैं।” जब तक वह पद का प्रतीक चिन्ह पहने हुए है और अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है, तब तक उसके द्वारा किए गए कार्यों को इस न्यायालय द्वारा वैध माना जाता था।

डी.

57. यहां तक कि बी. आर. कपूर (ऊपर) में भी, इस न्यायालय ने एक मुख्यमंत्री द्वारा किए गए सभी कार्यों को वैध घोषित करने के लिए वास्तविक सिद्धांत का आह्वान किया, जिनकी नियुक्ति को पहले दिन से ही अमान्य माना गया था।उक्त निर्णय का अनुच्छेद 57 इस प्रकार हैः

“हम जानते हैं कि यह निष्कर्ष कि दूसरे प्रतिवादी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं दी जा सकती थी और इस तरह से काम करना जारी नहीं रखा जा सकता था, इसके गंभीर परिणाम होंगे।इसका न केवल यह अर्थ होगा कि 14 मई, 2001 से राज्य में कोई वैध रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री नहीं है, जब दूसरे प्रतिवादी ने शपथ ली थी, बल्कि यह भी कि उसके पास कोई वैध रूप से नियुक्त मंत्रिपरिषद नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दूसरे प्रतिवादी की सिफारिश पर की गई थी।इसका यह भी अर्थ होगा कि 14 मई, 2001 से तमिलनाडु सरकार के सभी अधिनियम संदिग्ध हो जाएंगे।इन परिणामों को कम करने के लिए और राज्य और उसके लोगों के प्रशासन के हित में, जिन्होंने इस आधार पर काम किया होगा कि नियुक्तियां कानूनी और वैध थीं, हम वास्तविक सिद्धांत को लागू करने का प्रस्ताव करते हैं और घोषणा करते हैं कि सभी कार्य, अन्यथा कानूनी और वैध, 14 मई, 2001 के बीच और आज मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे प्रतिवादी द्वारा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा किए गए।

ई.

च

जी.

एच.

19 (1987) 3 एस. सी. सी. 367

और राज्य सरकार केवल उस आदेश के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी जिसे हम अब पारित करने का प्रस्ताव करते हैं।"

58. इसलिए, यह मान लेना संभव नहीं है कि श्री अमित कुमार महतो ने 9 बजे वोट डालाः15 ए. एम. 23.03.2018 को आपराधिक न्यायालय द्वारा 2 पर पारित दोषसिद्धि और सजा के कारण अमान्य माना जाना चाहिएः30 उसी दिन अपराह्न।यह निष्कर्ष तर्क की एक अन्य प्रक्रिया के माध्यम से भी निकाला जा सकता है।संविधान का अनुच्छेद 191 (1) अयोग्यता के पांच अलग-अलग आधारों से संबंधित है।वे हैं (i) पहली अनुसूची में निर्दिष्ट लाभ का पद धारण करना; (ii) मानसिक अस्वस्थता,

जिसे एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है; (iii) अविमुक्त दिवालियापन; (iv) भारत की नागरिकता का अभाव या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता का अधिग्रहण आदि।; और (v) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्यता।

ग

59. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "तिथि" की दी जाने वाली व्याख्या का अयोग्यता की उपरोक्त घटनाओं में से किसी एक के होने की तारीख तक दी जाने वाली व्याख्या पर असर पड़ेगा।

डी.

60. हालांकि इस मामले में अपीलार्थी के लिए अनुच्छेद 191 (1) (ई) के संदर्भ में धारा 8 (3) में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "तिथि" की व्याख्या करना सुविधाजनक हो सकता है, हमें यह देखना होगा कि क्या यह पूरी तरह से अनुच्छेद 191 (1) की योजना में फिट होगा।हो सकता है न भी हो।यदि अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (डी) में से प्रत्येक के खिलाफ परीक्षण किया जाता है तो हम पाएंगे कि अपीलार्थी द्वारा दी गई व्याख्या जीवित नहीं रहेगी।न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स, जूनियर ने हेनरी आर टाउन बनाम मार्क ईसनर 20 में संविधान में एक शब्द के निर्माण के साथ-साथ एक क़ानून पर विचार करते हुए कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

“एक शब्द एक क्रिस्टल, पारदर्शी और अपरिवर्तित नहीं है; यह एक जीवित व्यक्ति की त्वचा है और परिस्थितियों और बांध के अनुसार रंग और सामग्री में बहुत भिन्न हो सकता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है।

जी.

61. इसलिए, पहले मुद्दे पर हम मानते हैं कि श्री अमित कुमार महतो द्वारा 9 बजे डाला गया वोटः15 23.03.2018 पर a. m. को वैध वोट के रूप में माना गया था।अन्यथा रखने के लिए या तो इस उम्मीद में परिणाम होगा कि निर्वाचन अधिकारी को 9 पर दूरदर्शिता होनी चाहिए थीः15 ए. एम. के बारे में

20 245 अमेरिका 418 ए

एच.

509

प्रदीप कुमार संथालिया बनाम धीरज प्रसाद साहू @धीरज साहू [एस. ए. बोबडे, सीजेआई]

दोपहर में आपराधिक मामले का परिणाम या चुनाव आयोग के पास एक ऐसा कार्य करने की शक्ति जो अंतहीन भ्रम और अनावश्यक अराजकता पैदा करेगी।

62. पहले मुद्दे के हमारे उपरोक्त उत्तर को देखते हुए, दूसरा मुद्दा विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है।इसलिए, 2020 की सिविल अपील No.611 खारिज कर दी जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए मुद्दे संख्या 2,3 और 5 पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए 2020 की सिविल अपील की अनुमति दी गई है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.